न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
2/2021	19/01/2025	08/10/2025

1. सुरजमल पुत्र रघुनाथ जाति कुम्हार निवासी ढिंढोरा
2. धनराज पुत्र रघुनाथ जाति कुम्हार निवासी ढिंढोरा
3. रतनलाल पुत्र रघुनाथ जाति कुम्हार निवासी ढिंढोरा
4. बद्रीलाल पुत्र रघुनाथ जाति कुम्हार निवासी ढिंढोरा
5. दुलीचन्द पुत्र चतुर्भुज जाति कुम्हार निवासी ढिंढोरा
6. उर्मिला बेवा चतुर्भुज जाति कुम्हार निवासी ढिंढोरा तह. पीपल्दा जिला कोटा

प्रार्थीगण

बनाम

1. माँगीलाल पुत्र मथुरालाल जाति बैरवा निवासी ढिंढोरा
2. महाराम पुत्र मथुरालाल जाति बैरवा निवासी ढिंढोरा
3. द्वारक्याबाई पुत्री मथुरालाल जाति बैरवा निवासी ढिंढोरा
4. सुगनाबाई पुत्री मथुरालाल जाति बैरवा निवासी ढिंढोरा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

अप्रार्थीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 92 (अ) आर. टी. एक्ट प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 144 दीवानी प्रक्रिया संहिता

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी क्रम 1–4 की माता भूरीबाई पत्नि मथुरालाल जाति बैरवा निवासी ढिंढोरा द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष इस आशय की वाद प्रस्तुत किया गया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा की गत खसरा संख्या 62 की रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि उसको आवंटित की गई थी जिसके बाद बंदोबस्त बने नवीन खसरा संख्या 169/718 (169/714) रकबा 0.41है. तथा खसरा संख्या 208/724 रकबा 0.39 है. कुल रकबा 0.80है. गलती से मृतक रघुनाथ वल्द छोटू जाति कुम्हार निवासी ढिंढोरा के नाम गलत तौर पर इन्द्राज कर दिये गये। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.2019 को प्रतिवादी के तौर पर प्रार्थी क्रम 1, 2 को वाद मे सँयोजित प्रतिवादी पक्षकार के विरूद्ध वाद निर्णित फरमाते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 169/718 रकबा 0.41है. तथा खसरा संख्या 208/724 रकबा 0.39. कुल रकबा 0.80है. अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 की गैर खातेदारी में अंकित करने का निर्णय पारित कर दिया गया। जिसका अमल जरिये नामान्तरकरण संख्या 998 राजस्व अभिलेख मे कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 10. 04.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी क्रम 4 द्वारा अपील न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपील न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा द्वारा प्रार्थी क्रम 4 द्वारा प्रस्तुत अपील दिनाँक 25.09.2020 को स्वीकार की जाकर न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय एवम् डिक्री दिनाँक 10.04.2017 निरस्त किया जा चुका है। प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। अपील न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा द्वारा दिनाँक 25.09.2020 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय एवम् डिक्री दिनाँक 10.04.2017 निरस्त किया जा चुका है। इसलिए अपील न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 25.09.2020 को पुनः स्थापित किया जाकर "निरस्त किये जा चुके निर्णय एवं डिक्री दिनाँक 10.04.2017" की पालना से हुए राजस्व अभिलेख मे हुऐ परिर्वतनो (नामान्तरकरण संख्या 998) को अपास्त किया जाकर राजस्व अभिलेखो मे दिनाँक 10.04.2017 से पुर्व की स्थिति पुनः स्थापित किया जाना न्यायहित मे परम आवश्यक है। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधान आज्ञापक एवम् स्वचालित है।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

राजस्व अभिलेख मे निर्णय एवं डिक्री दिनाँक 10.04.2017 के प्रभाव से हुए अंकन को हटाकर निर्णय एवं डिक्री दिनाँक 10.04.2017 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुऐ, राजस्व अभिलेख मे विवादित भूमि पुनः प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से विनय है कि राजस्व अभिलेख मे निर्णय एवं डिक्री दिनाँक 10.04.2017 के प्रभाव से हुए अंकन (नामान्तरकरण संख्या 998) को हटाकर निर्णय एवं डिक्री दिनाँक 10.04.2017 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुऐ, राजस्व अभिलेख मे विवादित भूमि पुनः प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 ता 4 की ओर से रमेश बैरवा एड0 द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 1 ता 4 की ओर से जवाब पेश किया। जवाब अप्रार्थी कम 1 ता 4 निम्नानुसार हैः— प्रार्थना पत्र में वर्णित मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.4.2017 की अनुपालना स्वीकार की गई। क्योकि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.4.2017 को माननीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा द्वारा पारित अपने निर्णय दिनांक 25.9.2020 में अपील अपीलान्ट को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया गया कि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज सह खातेदार को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। इस प्रकार उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय से जेरकार है, राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होने मात्र से मामले की प्रकृति पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नही है, उक्त विवादित आराजी माननीय न्यायालय के विधि के अधीन है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी उसके किसी भी तरह का बदलाव या परिवर्तन नही कर सकता। प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा कर उसका विवादित आराजी पर किसी भी तरह का परिवर्तन बदलाव या रहन देय आदि कर सकते है, जिससे वाद की प्रकृति पर विपरित प्रभाव पड़ सकता है। वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में इस आशय का नोट अंकित किया जाये की वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड में कई खातेदार एवं पूर्व खातेदार उक्त आराजी को किसी भी तरह से रहन देय दान, वसीयत या अन्य कोई तरीके से किसी तरह का हस्तान्तरण न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि के करावे।

प्रार्थना पत्र में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व बहस के तथ्यों के अवलोकन व मनन करने पर पाया कि निर्णय दिनांक 28.10.2020 की राजस्व बोर्ड की आदेशिका की सत्य प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने के कारण ग्रहण कर ली गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया है तथा राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 25.09.2020 में अंकित विवादित आराजी को उभयपक्ष मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु आदेशित किया गया है। दिनांक 27.11.2020 ख0सं0 169/718, 208/724 सभी काश्तकार पर स्टे श्रीमान राजस्व मंडल अजमेर 2020/4013 से तहसील आदेश कम/राजस्व/2020/720 दिनांक 23.11.2020 से स्थगन जारी हुआ नोट लगा है। अतः धारा 144 सीपीसी के तहत Restitution सम्भव नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
पीपल्दा (राज.)